न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 66 / 2018

बउनवान

ज्ञानचन्द आयु 30 वर्ष पुत्र श्री बाबूलाल जाति–बैरवा निवसी–निमोदा तहसील–पीपल्दा जिला–कोटा (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, मॉगरोल (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री कमलदीप सिंह हाडा, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 08.10.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 31.01.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बमोरीकलां, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 1421 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 480/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन(तीन माह) के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विवादित आराजी पर अपीलांट को कोई [illegible] नहीं है उसके विरूद्व गलत रूप से कार्यवाहीं की गयी है। आदेश पारित [illegible] अपीलांट को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है, [illegible] रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये एकतरफा कार्यवाहीं की [illegible] है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई [illegible] नियम विरूद्व पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.1.2018 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया [illegible] न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर [illegible] अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान [illegible] अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही [illegible] एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, [illegible] आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी [illegible] तावान राशि जमा करा दी है।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका देखे मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये सजायाब किया गया है। साथ हीं कथन किया कि अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकतरफा निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.1.2018 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 40/2017 निर्णय दिनांक 25.02.2017 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 40/17 निर्णय दिनांक 25.02.2017 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को [illegible] आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप ही सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 18/2018 में पारित आदेश दिनांक 31.1.2018 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक [illegible] खुले इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर, बारां
बारां (राज0)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official